



उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय

Uttarakhand Open University

Ref. No. UOU/R/AC/32(Urgent)2025

Date: 03.04.2025

सेवा में,

1. प्रोफेसर एच0सी0 पोखरियाल, कार्यकारी निदेशक (सेवानिवृत्त), मुक्त शिक्षा विद्याशाखा, दिल्ली विश्वविद्यालय दिल्ली।
2. प्रोफेसर पी0एस0 बिष्ट, विभागाध्यक्ष, भौतिक विज्ञान विभाग एवं परिसर निदेशक, सोबन सिंह जीना विश्वविद्यालय, अल्मोड़ा।
3. डॉ0 मनु प्रताप सिंह, प्रोफेसर एवं विभागाध्यक्ष, कम्प्यूटर साइंस विभाग, डॉ0 बी0आर0 अम्बेडकर विश्वविद्यालय, आगरा।
4. प्रोफेसर ब्रजेश कुमार पाण्डेय, **Rector**, जे0एन0यू0, डीन, संस्कृत एवं भारतीय अध्ययन विद्याशाखा जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय, नई दिल्ली।
5. डॉ0 एच0सी0 पुरोहित, प्रोफेसर एवं डीन, प्रबन्ध अध्ययन विद्याशाखा, दून विश्वविद्यालय, देहरादून।
6. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष द्वारा नामित एक व्यक्ति जो संयुक्त सचिव से निम्न पंक्ति का न हो।
7. प्रोफेसर गिरिजा प्रसाद पाण्डे, निदेशक, समाज विज्ञान विद्या शाखा, उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय, हल्द्वानी।
8. प्रोफेसर पी0डी0 पंत, निदेशक, भौमिकी एवं पर्यावरण विज्ञान विद्याशाखा, उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय, हल्द्वानी।
9. प्रोफेसर रेनु प्रकाश, निदेशक, मानविकी विद्याशाखा, उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय, हल्द्वानी।
10. प्रोफेसर जीतेन्द्र पाण्डेय, निदेशक, कम्प्यूटर साइंस एवं सूचना प्रौद्योगिकी विद्या शाखा, उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय, हल्द्वानी।
11. प्रोफेसर दुर्गेश पंत, आचार्य, कम्प्यूटर विज्ञान, उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय, हल्द्वानी।
12. डॉ0 एम0एम0 जोशी, आचार्य, इतिहास, उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय, हल्द्वानी।
13. डॉ0 प्रवेश कुमार सहगल, सह-आचार्य, जन्तु विज्ञान, उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय, हल्द्वानी।
14. डॉ0 हरीश चन्द्र जोशी, सह-आचार्य, वानिकी, उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय, हल्द्वानी।
15. डॉ0 नीरजा सिंह, सहायक आचार्य, समाज कार्य, उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय, हल्द्वानी।
16. डॉ0 सुमित प्रसाद, सहायक आचार्य, प्रबंध अध्ययन, उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय, हल्द्वानी।

महोदय/महोदया,

उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय में एम0एड0 (विशेष शिक्षा- ID, HI एवं VI) कार्यक्रम संचालित किये जाने हेतु भारतीय पुनर्वास परिषद (RCI) भारत सरकार से मान्यता प्राप्त हो गयी है। शैक्षणिक सत्र 2025-26 से एम0एड0 (विशेष शिक्षा- ID, HI व VI), M.A. Human Rights एवं M.A. Library & Information Science कार्यक्रम को संचालित किये जाने हेतु UGC (DEB) में आवेदन किये जाने की प्रक्रिया गतिमान है। इस हेतु एक सूत्रीय कार्यसूची (One Point Agenda) आपके अवलोकनार्थ/अनुमोदनार्थ संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है।

कृपया उक्त संलग्न प्रस्ताव पर ई-मेल के माध्यम से अनुमोदन प्रदान करने का कष्ट करें।

आपके प्रत्याशित सहयोग हेतु धन्यवाद सहित,

साभार,

**KHEMRAJ
BHATT**

भवदीय,
Digitally signed by
KHEMRAJ BHATT
Date: 2025.04.03
16:33:24 +05'30'

(खेमराज भट्ट)

कुलसचिव/ सदस्य सचिव, विद्या परिषद

प्रतिलिपि:- कुलपति जी के विशेष कार्याधिकारी को माननीय कुलपति महोदय के सूचनार्थ प्रेषित।



उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय, हल्द्वानी
विद्या परिषद की 32वीं आवश्यक (Urgent) बैठक दिनांक 03.04.2025
(By Circulation) एक सूत्रीय कार्यसूची

प्रस्ताव संख्या 32.01:- शिक्षाशास्त्र विद्याशाखा के अन्तर्गत बी0एड0 (विशिष्ट शिक्षा) की दिनांक 03.04.2025 को सम्पन्न अध्ययन बोर्ड (Board of Studies) की संस्तुतियों एवं M.A. Human Rights एवं M.A. Library & Information Science कार्यक्रम के SLM व PPR का अनुमोदन।

विश्वविद्यालय में एम0एड0 (विशेष शिक्षा- ID, HI एवं VI) कार्यक्रम संचालित किये जाने हेतु भारतीय पुनर्वास परिषद (RCI) भारत सरकार से मान्यता प्राप्त हो गयी है (पत्र की छायाप्रति संलग्न)। शैक्षणिक सत्र 2025-26 से एम0एड0 (विशेष शिक्षा- ID, HI व VI), M.A. Human Rights एवं M.A. Library & Information Science कार्यक्रम को संचालित किये जाने हेतु UGC (DEB) में आवेदन किये जाने की प्रक्रिया गतिमान है।

उक्त के क्रम में एम0एड0 (विशेष शिक्षा- ID, HI एवं VI) कार्यक्रम के SLM (Self-Learning Materials) व PPR (Program Project Report) पर स्वीकृति प्राप्त किये जाने एवं RCI द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम को अंगीकृत किये जाने हेतु विशिष्ट शिक्षा विभाग की दिनांक 03 अप्रैल, 2025 को अध्ययन बोर्ड की बैठक सम्पन्न हुई। अध्ययन बोर्ड द्वारा उक्त पर सहमति प्रदान की गयी है (अध्ययन बोर्ड की संस्तुतियां SLM एवं PPR

सहित संलग्न)। अध्ययन बोर्ड की संस्तुतियों एवं एम0एड0 (विशेष शिक्षा- ID, HI व VI), M.A. Human Rights एवं M.A. Library & Information Science कार्यक्रम के SLM (Self-Learning Materials) व PPR (Program Project Report) पर विश्वविद्यालय की विद्या परिषद का अनुमोदन प्राप्त किया जाना आवश्यक है। तदक्रम में विद्या परिषद की 32वीं आवश्यक (Urgent) बैठक (By Circulation) की जा रही है।

विद्या परिषद की संस्तुति के उपरान्त प्रकरण पर विश्वविद्यालय कार्य परिषद का अनुमोदन भी आवश्यक है। चूंकि कार्य परिषद की 43वीं बैठक दिनांक 04 अप्रैल, 2025 (शुक्रवार) को पूर्व निर्धारित है, अतः सीमित समय एवं प्रकरण के महत्व के दृष्टिगत प्रस्ताव By Circulation विद्या परिषद के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

KHEMRAJ
BHATT

Digitally signed by
KHEMRAJ BHATT
Date: 2025.04.03
16:28:50 +05'30'

कुलसचिव/सदस्य सचिव, विद्या परिषद